

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/२१८/२०१६/एफ०सी०/७५६

दिनांक: ७/०९/२०१७

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मीटर स्पान स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.08 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1026/X-4-16/1(334)/2016 दिनांक 30.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/20084/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मीटर स्पान स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.08 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

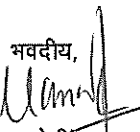
1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.16 है० ग्राम- जुवा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में **Online Portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. State Govt. will review and correct the details of employment likely to be generated given at para-E of online Part-I and district profile data at para 14 Part-II online after reconciliation of data given about CA stipulated in the hard copy and online Part-II.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.16 है० ग्राम- जुवा सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 31 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक